अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की और से अभिभाषक श्री बृजमोहन सोनी उपस्थित हुए।

बहस उभय पक्ष सुनी । अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा दौराने बहस अपील मेंमो की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलान्ट्स के खिलाफ तहसीलदार पिड़ावा के समक्ष ग्राम खारपाखुर्द की आराजी ख0न0 91, 607/91 में आने–जाने के रास्ते का खुलासा करवाने बाबत प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट्स की और से जवाब प्रा0पत्र पेश किया जाकर अंकन किया गया था कि आराजी ख0न0 607/91 में पंहुचने का रास्ता खारपाखुर्द से गोविन्दपुरा रोड़ से चालू होकर खाल से लगता हुआ खसरा न0 609/91 की दक्षिणी मेड़ से होकर आगे ख0न0 608/91 की दक्षिणी मेड से होकर ख0न0 607/91 में पहुंचता है। खसरा न0 91 एक ही नम्बर था किन्तु बंटवारा हो जाने के कारण खसरा न0 91 के खसरा न0 607/91,608/91, 609/91 व 91 बनाये गये तथा खसरा न0 91 रोड़ से लगा हुआ है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया व बिना अपीलान्ट्स को सुने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कानून के खिलाफ निर्णय कर दिया। उक्त निर्णय विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर आयी साक्ष के विपरित है जो अपास्त योग्य है। धारा 251 आरटी एक्ट में रास्ते सम्बन्धि प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को है एंव ग्राम पंचायत 45 दिन में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही करती है तो उसके बाद तहसीलदार सुनवाई कर सकते हैं किन्तु तहसीलदार ने प्रा0पत्र सुनवाई के लिये ग्राम पचांयत में नही भेजा गया। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा व्यक्त किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट व शपथ पत्र के आधार पर रास्ता खुलासा करवाने का आदेश पारित किया गया है ना कि नया रास्ता कायम किया गया है,तहसीलदार को रास्ता खुलासा कराने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न रिपार्ट पटवारी दिनांक 13.03.2020 में स्पष्ट किया गया है कि तहसीलदार के आदेश 35–36/राजस्व/20 दिनांक 30.01.2020 की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक वृत खारपांकला के साथ मौका रिपोर्ट तैयार की गई है उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है " ग्राम वासियान के अनुसार पूर्व में ख0न0 90 व ख0न0 91(वर्तमान ख0न0 607/91,608/91,609/91,91) की सीमा पर होकर आगे रास्ता जाता था। ख0न0 91 में सह खातेदार द्वारा बेचान होने से ख0न0 91 व ख0न0 607/91 के खातेदार का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा दौराने बहस यह भी व्यक्त किया गया है कि धारा 251 आरटी एक्ट में रास्ते सम्बन्धि प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को है एंव ग्राम पंचायत 45 दिन में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही करती है तो उसके बाद तहसीलदार सुनवाई कर सकते हैं किन्तु तहसीलदार ने प्रा0पत्र सुनवाई के लिये ग्राम पचांयत में नही भेजा गया। इस बाबत स्पष्ट किया जाना उचित है कि Notification No.F.5(21)Rev./GR.IV/80/34 dt. 4-9-1982 के द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्ति प्रथम 45 दिन तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत को तथा तत्पश्चात सम्बन्धित तहसीलदार को प्रदत्त की गई थी। उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा Notification No.F.3(2)Rev. IV /2003/pt./18,S.O. 122 dt. 6-7-2009 के द्वारा Rescined कर दिया गया है जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 14.07.2009 को किया जा चुका है व उक्त प्रकाशन के पश्चात Notification No.F.5(21)Rev./GR.IV/80/34 dt. 4-9-1982 अस्तित्व में नही होने से ग्राम पंचायत को 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तियां प्रदत्त नही है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पूर्व में वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे (way in actual enjoyment) रास्ते को बन्द कर देने अथवा व्यवधान डालने पर ऐसे व्यवधान हटाने तथा पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में ही तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में शक्तियां प्राप्त हैं। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार पिडावा द्वारा बाद सुनवाई मौका निरीक्षण करवाया जाकर प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुरूप प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 33/अपील/20

तारीख दायरा 11.08.2020

उनवान अपील

01. रामसिंह आ0 नाहरसिंह जाति राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
02. हंसकुंवर पत्नी कालूसिंह जाति राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
03. नागुसिंह आ0 चंदरसिंह राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
04. राजेन्द्रसिंह आ0 चंदरसिंह राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
05. सोभागसिंह आ0 चंदरसिंह राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
06. जितेन्द्रसिंह आ0 चंदरसिंह राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
07. हेमकुंवर आ0 चंदरसिंह राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
08. मोहनबाई पुत्री नाहरसिंह राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
09. दरबारसिंह आ0 नारायणसिंह राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
10. मनोहरसिंह आ0 नारायणसिह राजपूत नि0खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
11. सोरमकुंवर पुत्री नारायणसिंह राजपूत नि0खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
12. मांगूबाई पत्नी रामसिंह राजपूत नि0खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
13. नन्दलाल पुत्र उदा जाति गुर्जर नि0 खारपाकला तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट्स)

बनाम

01. विक्रमसिंह पुत्र गंगाराम राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा(मृतक) का0मु0
1/1 शंकर आयु 4 साल नाबालिक पुत्र विक्रमसिंह जरिये वली माता कृष्णाबाई पत्नी विक्रमसिंह जाति राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
02. कृष्णाबाई पत्नी विक्रमसिंह राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
03. सम्पतबाई पत्नी गंगाराम जाति राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
04. लालसिंह पुत्र पूरसिंह जाति राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
05. कालीबाई बेवा पूरसिंह जाति राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा
06. शंकरसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिवाड़ा
07. गोपाल आ0 रतन सिंह राजपूत नि0 खारपाखुर्द तहसील पिड़ावा (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 11.06.2020 मिसल न0 2/2019 विक्रमसिंह वगै0 बनाम हंसकुवर

उपस्थितः— श्री तवंरसिंह झाला, अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री बृजमोहन सोनी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 7 की और से

—: निर्णय :—

दिनांकः 17.12.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार पिड़ावा द्वारा मिसल न0 2/2019 निर्णय दिनांक 11.06.2020 में दिये गये निर्णय से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अपील मेंमों में अंकन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलान्ट्स के खिलाफ तहसीलदार पिड़ावा के समक्ष ग्राम खारपाखुर्द की आराजी ख0न0 91, 607/91 में आने—जाने के रास्ते का खुलासा करवाने बाबत प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट्स की और से जवाब प्रा0पत्र पेश किया जाकर अंकन किया गया था कि आराजी ख0न0 607/91 में पंहुचने का रास्ता खारपाखुर्द से गोविन्दपुरा रोड़ से चालू होकर खाल से लगता हुआ खसरा न0 609/91 की दक्षिणी मेड़ से होकर आगे ख0न0 608/91 की दक्षिणी मेड से होकर ख0न0 607/91 में पहुंचता है। खसरा न0 91 एक ही नम्बर था किन्तु बंटवारा हो जाने के कारण खसरा न0 91 के खसरा न0 607/91,608/91, 609/91 व 91 बनाये गये तथा खसरा न0 91 रोड़ से लगा हुआ है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया व बिना अपीलान्ट्स को सुने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कानून के खिलाफ निर्णय कर दिया। उक्त निर्णय विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर आयी साक्ष के विपरित है जो अपास्त योग्य है। धारा 251 आरटी एक्ट में रास्ते सम्बन्धि प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को है एंव ग्राम पंचायत 45 दिन में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही करती है तो उसके बाद तहसीलदार सुनवाई कर सकते हैं किन्तु तहसीलदार ने प्रा0पत्र सुनवाई के लिये ग्राम पचांयत में नही भेजा गया। मातहत न्यायालय का निर्णय मनमाना परवर्स तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़